दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 4819/2023 और सि.वि.आ. 18607/2023

श्रीमती ममता ...याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रवि प्रकाश, श्री वरुण अग्रवाल, श्री अमन रेवारिया, अधिवक्तागण

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्रीमती अवनीश अहलावत, स्थायी अधिवक्ता, रा.रा.क्षे.दि. के साथ सुश्री तानिया अहलावत, श्री नीतेश कुमार सिंह, सुश्री पलक रोहमेत्रा, सुश्री लावण्या कौशिक और सुश्री अलीजा आलम, प्र-1 के लिए अधिवक्तागण

सुश्री निधि रमन, कें.स.स्था.अधि. के साथ श्री जुबिन सिंह प्र-2 की ओर से अधिवक्ता

निर्णय की तिथि: 18 अप्रैल, 2023

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन
माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ बनर्जी

निर्णय

न्या., मनमोहन: (मौखिक)

1. वर्तमान रिट याचिका 01 जून, 2022 के पत्र को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसके तहत प्रत्यर्थी सं.2 ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन को खारिज कर दिया और कुटुंब पेंशन में 50 प्रतिशत कटौती करने के प्रत्यर्थी सं.1 के निर्णय की सूचना दी; कुटुंब पेंशन के कथित अधिक भुगतान की वसूली के लिए प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा दिनांक 15 जून, 2022 को आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता प्रत्यर्थीगण को उसके पक्ष में 100 प्रतिशत कुटुंब पेंशन देने के लिए निर्देश देने की भी मांग करता है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को कुटुंब पेंशन का केवल 50 प्रतिशत दिया गया है और कुटुंब पेंशन का 50 प्रतिशत स्वर्गीय श्री हरीश कुमार की पहली पत्नी के साथ उनकी बेटी को हस्तांतरित किया गया है जिसका नाम बेबी याशिका (प्रत्यर्थी सं. 3) है, इस तथ्य के बावजूद कि स्वर्गीय श्री हरीश कुमार को वर्ष 2013 में अपनी पहली पत्नी सुश्री चित्रा से आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद हुआ था। उनका कहना है कि आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद के समझौते के संदर्भ में स्वर्गीय श्री हरीश कुमार ने अपनी नाबालिग बेटी (प्रत्यर्थी सं. 3) के कल्याण के लिए 9,00,000/- (केवल नौ लाख रुपये) की राशि देकर व्यवस्था की।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आक्षेपित आदेश के.सि.से(पेंशन) नियमवली, 2021 के प्रावधान के विपरीत हैं क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 1 ने के.सि.से(पेंशन) नियमवली, 2021 के नियम 50(9)(ट) की अनदेखी की है

और गलती से के.सि.से(पेंशन) नियमवली, 1972 (वर्तमान में केवल के.सि.से(पेंशन) नियमवली, 2021 के नियम 50(8)(च) के नियम 54(7)(ग) पर भरोसा किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने इस तथ्य के मूल्यांकन नहीं करने में गलती की है कि के.सि.से(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50(8)(च) के.सि.से(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9) (ट) के अधीन है। उनका कहना है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने इस तथ्य के मूल्यांकन नहीं करने में गलती की है, के.सि.से(पेंशन) नियमवली, 2021 के नियम 50(9)(ट) के अनुसार, प्रथम विवाह से बच्चे को पेंशन पर तभी अधिकार होगा जब तलाकशुदा पत्नी को पति की मृत्यु के समय पेंशन का अधिकार हो।

5. इसके विपरीत, अग्रिम नोटिस पर उपस्थित होने वाले प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में आक्षेपित आदेशों के माध्यम से पेंशन का भुगतान के.सि.से(पेंशन) नियमवली, 2021 के नियम 50(8)(च) और नियम 50(9)(ट) के अनुसार किया गया है, विशेष रूप से इसके प्रावधान के अनुसार। वे प्रस्तुत करते हैं कि उक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम पत्नी का बच्चा भी कुटुंब पेंशन के हिस्से का हकदार है। उक्त नियमों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

क. नियम 50 (8) (च)

"(च) जहां किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की कुटुंब पेंशन के लिए किसी पात्र बच्चे के बिना कोई उत्तरजीवी विधवा हो किन्तु उसने किसी अन्य पत्नी से, जो जीवित नहीं है, पात्र बालक या बालकों को छोड़ा है, तो उप-नियम (9) में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाला बच्चा या बच्चे कुटुंब पेंशन के उस अंश का हकदार होगा या होंगे जो माता को उस दशा में मिलता जब वह उस सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय जीवित होती और ऐसे बच्चे या बच्चों को या विधवा या विधवाओं को देय कुटुंब पेंशन का अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किन्तु उप-नियम (9) के अनुसार अन्यथा पात्र अन्य विधवा या विधवाओं और/या अन्य बच्चा या बच्चों को, बराबर अंशों में देय होगा, या केवल एक ही विधवा या बच्चा है, तो पूर्ण रूप से उसे देय होगा:

परंतु यदि मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी कुटुंब पेंशन के लिए पात्र बच्चा या बच्चों सहित विधवा को छोड़ जाता है, तो विधवा को देय कुटुंब पेंशन के अंश का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश खंड(ग) और उप-नियम (9) के अनुसार उसके बच्चे या बच्चों को देय होगा।"

ख. नियम 50(9)(ट)

"(ट) जहां कोई मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी एक से अधिक विधवाओं या एक विधवा और तलाकशुदा पत्नी से या एक विधवा या तलाकशुदा पत्नी और अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो इस उप-नियम में उल्लिखित पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाला बच्चा

या बच्चे कुटुंब पेंशन के अंश के हकदार होंगे जो सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने के समय उनकी माता को मिलता यदि यथास्थिति, वह जीवित होती या उसका तलाक नहीं हुआ होता या विवाह अमान्य या अमान्यकरणीय नहीं होता।"

6. प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि के.सि.से(पेंशन) नियमवली, 2021 के नियम 50(8)(च) और नियम 50(9)(ट) के बीच अन्तर्विरोध है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद इस न्यायालय का विचार है कि पेंशन का भुगतान मौजूदा कानून अर्थात् के.सि.से(पेंशन) नियमावली के अनुसार किया जाना चाहिए। एक निजी निपटान समझौते द्वारा जिसमें आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद की डिक्री शामिल है पेंशन के भुगतान की शर्तों को परिवर्तित या बदला नहीं जा सकता है।

8. इस न्यायालय का विचार है कि के.सि.से(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(8)(च) और नियम 50(9)(ट) दोनों में यह निर्धारित किया गया है कि जहां कोई मृत सरकारी कर्मचारी विधवा और तलाकशुदा पत्नी के बच्चों को पीछे छोड़ देता है, तो तलाकशुदा पत्नी का बच्चा कुटुंब पेंशन के उस हिस्से का हकदार होगा जो उसकी मां को सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय प्राप्त होता, अगर उसका तलाक नहीं हुआ होता। इस न्यायालय ने यह भी पाया कि के.सि.से(पेंशन) नियमवली, 2021 के नियम 50(8)(च) और नियम 50(9)(ट)

के बीच कोई अन्तर्विरोध नहीं है। नतीजतन, इस न्यायालय ने पाया कि आक्षेपित आदेशों/पत्रों में कोई अशक्तता नहीं है।

9. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका के साथ-साथ लंबित आवेदन को गुणागुण से रहित होने के कारण खारिज किया जाता है।

न्या., मनमोहन

न्या., सौरभ बनर्जी

अप्रैल 18,2023
एएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*